C/V 5804/RTI/2011 9/12

2603/RTI/2011 CR

सूचना का अधिकार आवेदन

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत)

प्रेषक, दिनांक 29.11.11

सोनू सिंह,

ग्राम – सहीजना रोड, नजदीक सहिजना मील,

पो0 + जिला – गढ़वा,

झारखण्ड – 822114.

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी,

केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार,

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत उपबन्धित प्रावधानों के तहत मांगे गए विषयों से संबंधित सही एवं आपेक्षित सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक निवेदन करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन उपबन्धित संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में मांगे गए विषयों से संबंधित वांछित सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ अधोहस्ताक्षरी को अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की संवैधानिक समयावधि के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

मांगी जा रही सूचना बिन्दु निम्नांकित हैं :-

DS(CS) DOPT

01. यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून 2005 के प्रभावी रुप से अनुपालन किए जाने हेतु माननीय भारत सरकार के उत्तरदायी स्तर से जारी निर्देशों व आदेशों की वांछित प्रति उपलब्ध करायी जाए। (NIL)

02. यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून लागू होने के पश्चात अबतक कितने ऐसे लोग हैं जो कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने के कारण हताहत हुए हैं । वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाए। (Not maintained)

03. यह कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने वाले लोगों को सुरक्षा व संरक्षण देने के निमित माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेशों व निर्देशों की वांछित प्रति उपलब्ध कराई जाए। (Not concerned)

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रुप में निर्धारित ₹10/– रु0 की राशि का भुगतान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन उपबन्धित प्रावधानों के अनुरुप मूल रुप में सूचना का अधिकार आवेदन के साथ समर्पित किया जा रहा है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अंकित सूचना बिन्दुओं से संबंधित वांछित एवं सही सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियन 2005 में निर्धारित 30 दिनों की समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे । सूचना उपलब्ध कराने के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि की गणना सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन नियम) 2005 की धारा 4 के अनुरुप गणनित की जाए । साथ हीं साथ पन्नों की संख्या को सूचना बिन्दुवार रुप से उल्लेखित किया जाए। निवेदन है कि विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का विलोपन नहीं किया जाए।

सहयोग के लिए धन्यवाद।

विश्वासभाजन

(सोनू सिंह)

(आवेदक)

स्थान हाट्वा / दिनांक 29.11.11

अनुलग्नक संलग्न :–

1. सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रुप में मूल्य रुपये ₹ 10 /– की राशि प्रावधानों के अनुकूल पोस्टल ऑर्डर संख्या 85E 118212 द्वारा मूल रुप में समर्पित।

228 8/c

By Speed Post
RTI MATTER

(34)

No. VI.23014/132/2013-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building. 3rd Floor.
Jai Singh Road.
New Delhi-110001, dated: 18th February. 2014

To

Shri Sonu Singh,
Gram- Sahijana Road, Near Sahijana Mill,
P.O.+Distt.-Garhwa,
Jharkhand-822114.

Subject:- Application under the RTI Act-2005 - reg.

***

Sir,

Please refer to your RTI application dated 29.11.2011 received in this unit along with CIC order No.CIC/SS/A/2013/000509/VS/0577 dated 10.01.2014 on transfer on 31.01.2014.

2. With reference to Point No.(3) of your application, it may be stated that the responsibility of providing security to an individual, including RTI activists lies primarily with the State Government concerned in whose jurisdiction such individual is ordinarily resident or happens to be. Security is primarily provided on the basis of a comprehensive assessment of threat carried out by the security agencies. No specific/separate instructions have been issued by this Division for provision of security to RTI Activists. This Division has no information to furnish in respect of point Nos. (1) and (2) of your application.

3. A copy of your RTI application is, however, being transferred to CPIO, DOPT and CPIO, CVC under Section 6 (3) of the RTI Act, 2005 for providing you information, if any, available with them on the points raised by you.

4. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110003.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele: 23438120

Copy to:

1. Shri K. Muralidharan, Director & CPIO, CSR-II, MHA, 5th Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi w.r.t. OM No.IV/16015/17/2011-CSR-II dated 28.01.2014.
2. Shri R.K. Girdhar, Under Secretary (RTI) & CPIO, Deptt. of Personnel & Training, North Block, New Delhi along with a copy of the RTI Application dated 29.11.2011 of Shri Sonu Singh for necessary action under the RTI Act-2005.
3. CPIO, CVC, Satarkata Bhawan, INA, New Delhi along with a copy of the RTI Application dated 29.11.2011 of Shri Sonu Singh for necessary action under the RTI Act-2005.